परिशिष्ट "अ"

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी, म.प्र.

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 281 के प्रश्नांश (ख) की जानकारी बावत्।

आई.एच.एस.डी.पी.योजनांतर्गत पड़रवारा ;बस्ती में 59 ई.डब्ल्यु.एस.भवनों एवं अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु मे. प्रगति इंडिया, सतना को कार्य आदेश कमांक 5142 दिनांक 31.07.2008 दिया गया, ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने पर अंतिम देयक दिनांक 25.06.2014 को तैयार कराया गया। ठेकेदार द्वारा निर्मित किये गये भवनों का कब्जा नहीं सौपे जाने के कारण कार्यालयीन पत्र कमांक 519ए दिनांक 30.08.2014 द्वारा कब्जा सौपने हेतु निर्देश दिये गये थे, तत्संबंध में ठेकेदार द्वारा निर्मित कराये गये भवनों का कब्जा दिनांक 02.01.2017 को सौपा गया, तदुपरांत प्रकरण भुगतान की कार्यवाही हेतु दिनांक 26.11.2016 को लेखा शाखा को प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में उक्त कार्य का अंतिम देयक भुगतान किये जाने बावत् प्रकरण मेयर–इन–कांउसिल में प्रस्तुत किया गया है।

लारेन्स रॉयल कंस्ट्रक्शन, कटनी को योजनांतर्गत 571 भवनों एवं अधोसंरचना विकास कार्य का कार्य आदेश कमांक 3840 दिनांक 01.12.2010 दिया गया था, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण पत्र दिनांक 30.09.2014, 23.09.2014, एवं 02.11.206 द्वारा कार्य पूर्ण करने एवं भवनों का अधिपत्य सौपने हेतु सूचित किया गया, किन्तु संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एवं भवनों का अधिपत्य नहीं सौपने के कारण अंतिम देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मे.लारेन्स रॉयल कंस्ट्रक्शन कटनी द्वारा किये गये कार्य का 35वों चल देयक राशि रूपये 31.44लाख के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

मे. ए.के. बिल्डर्स, ठेकेदार द्वारा भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने एवं कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण मेयर–इन–काउंसिल द्वारा ए.के. बिल्डर्स, ठेकेदार का कार्य निरस्त करते हुए रिस्क एण्ड कॉस्ट के आधार पर निविदायें आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके संबंध में उपयंत्री द्वारा दिनांक 07.05.2016 को प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किया गया एवं प्राक्कलन की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति मेयर–इन–काउंसिल के प्रस्ताव कमांक 03 दिनांक 28.06.2016 द्वारा प्रदान की गई, स्वीकृति उपरांत ए.के. बिल्डर्स ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े गये भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु समय–समय पर निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की गई हैं :–

कं.	स्थल	भवनों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि लाख में	किये गये कार्यो की भुगतान राशि लाख में	शेष कार्य/ राशि लाख में (जिसके लिये रिस्क एण्ड कॉस्ट की निविदा आमंत्रित की गई)	निविदायें आमंत्रित करने की तिथि
1	इन्द्रानगर बस्ती	44	88.66	58.54	22.50	29.08.2016
2	प्रेमनगर बस्ती	100	164.39	118.61	44.90	23.09.2016
3	प्रेमनगर बस्ती	90	144.81	38.76	76.61	23.10.2016

6

4	प्रेमनगर बस्ती	61	116.67	14.37	62.91	03.12.2016 19.01.2017 09.03.2017 26.04.2017 18.05.2017 29.06.2017

उपरोक्त कार्यो हेतु समय-समय पर 08 बार निविदायें आमंत्रित की गई, जिसमें सरल कमांक 05 के कार्य हेतु एकल निविदा दिनांक 03.12.2016 को निविदा प्राप्त हुई, जिसमें प्राप्त निविदा दर अधिक होने के कारण निविदा निरस्त करते हुए पुनः निविदायें आमंत्रित की गई है एवं शेष कार्यो हेतु निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदायें दिनांक 10.07.2017 तक आमंत्रित की गई हैं।

इसी प्रकार मे. धनराज कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार द्वारा इंदिरा नगर बस्ती में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में 200 नग ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण एवं मे. राज कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार द्वारा अमकुही बस्ती में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में 92नग ई. डब्ल्यु.एस. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया एवं कार्य अधूरा छोड़ दिया गया जिससे प्रकरण मेयर-इन-काउंसिल की बैठक दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तुत किया गया।

मेयर-इंन-काउंसिल की स्वीकृति उपरोक्त कार्यो हेतु रिस्क एण्ड कॉस्ट के आधार पर निविदायें दिनांक 11.05.2017, 12.06.2017 एवं 29.06.2017 को निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें अमकुही बस्ती में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में 92नग ई.डब्ल्यु.एस. भवनों का निर्माण कार्य हेतु एक ही निविदा प्राप्त हुई है, जिसकी स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जावेगा एवं इंदिरा नगर बस्ती में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में 200 नग ई. डब्ल्यु.एस. भवनों का निर्माण हेतु निश्चित समयावधि तक उक्त कार्य हेतु निविदायें प्राप्त नहीं होने से पुनः निविदायें दिनांक 10.07.2017 तक आमंत्रित की गई हैं।

आई.एच.एस.डी.पी.योजना में कराये जा रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रकरण समक्ष प्राधिकारी मेयर-इन-काउंसिल की बैठक दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मेयर-इन-काउंसिल के प्रस्ताव कमांक 09 दिनांक 24.12.2016 में निर्णय लिया गया कि जिन ठेकेदारों द्वारा अधूरे कार्य छोड़े जाकर कार्य नहीं कराया जा रहा है, उनकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा राशि को राजसात करते हुए निविदायें रिस्क एण्ड कॉस्ट के आधार पर आमंत्रित की जावें एवं जिन कार्यो में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है उन्हें 10प्रतिशत वृद्धि के अंतर्गत पूर्ण कराया जावें तथा कार्यालय आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल से संपूर्ण योजना के कार्यो का नियमानुसार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जावें। साथ ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिर्पोट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावें। मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

योजना के सभी कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, चूँकि योजना के कार्यो को पूर्ण कराने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, इसलिये कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कोई दोषी नहीं है।

उपयंत्री नगर निगम, कटनी	नोडल अधिकारी नगर निगम, कटनी	कार्यपालन यंत्री नगर निगम, कटनी

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग